न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ(चूरू)

पीठासीन अधिकारी: ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या: 31 / 2023
आदेश दिनांक: 03.04.2025
जीसीएमएस: 2023 / 192

1. लाभुराम पुत्र रामकरण जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज.)

.... वादी

बनाम

1. रतनलाल पुत्र जैसाराम जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज.)
2. डूंगरराम पुत्र जैसाराम जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज.)
3. रामकरण पुत्र जैसाराम जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज.)

3 (क) मैना पुत्री जैसाराम जाति जाट निवासी रणधीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू 54 राज.)

4. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सुजानगढ जिला चूरू (राज.)

.... प्रतिवादीगण

राजस्व वाद घोषणात्मक, राजस्व रेकॉर्ड दुरूस्ती हेतु

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश घोटिया एड. वादी
2. श्री सुभाष डुडी, एड. प्रतिवादीगण 01 ता 03 (क)

–ः<u>निर्णय</u>ः–

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकरण है कि वादी की ओर से वाद इस आशय का पेश किया गया कि वादगत खेत ख.नं. 514 तादादी 13.9727 हैक्टेयर भूमि रोही ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) में जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 21.10.2019 को मोहनराम पुत्र दुर्जाराम जाति जाट निवासी ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) ने अपने 1/4 हिस्से में से 2.5290 हैक्टेयर भूमि वादी के पक्ष में एवं 0.964175 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दान (गिफ्टडीड) किया गया। उक्त खेत ख.न. 514 में नामान्तरकरण संख्या दिनाक 08.11.2021 विभाजन के पश्चात ख.नं. 1114/514 तादादी 6.9863 हैक्टेयर भूमि है जिसमें वादी द्वारा उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात 2.5290 हैक्टेयर भूमि वादी के पुख्ता कब्जा उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रतिवादी सख्या 1 के उक्त खाते में 1/8 हिस्सा स्वयं की थी व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2019 के आधार पर मोहनराम पुत्र दुर्जाराम जाति जाट निवासी ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) से उनके 1/4 हिस्से में से 0.964175 हैक्टेयर भूमि खरीद की गई है यानि वादगत खेत में प्रतिवादी संख्या 1 का कुल

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

...ना 1.8374 हैक्टेयर भूमि है। जिस पर ही प्रतिवादी संख्या 1 (एक) का कब्जा उपयोग उपयोग है।

यह कि वादी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2019 से भूमि क्रय करने के पश्चात वादी द्वारा उक्त विक्रय पत्र की प्रति तत्कालिन पटवारी हल्का को नामान्तरण दर्ज करवाने के लिये दी। जिस पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 1086 दिनांक 31.10.2019 को खोला गया। जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 3/16 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जबकि विक्रय पत्र में वादी द्वारा 2.5290 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा 0.964175 हैक्टेयर भूमि क्रय की गई थी, मगर तत्कालिन पटवारी हल्का द्वारा गफलत व लापरवाही के वजह से उक्त विक्रय पत्र में विक्रय की गई भूमि 3.4931 हैक्टेयर भूमि में से आधी भूमि 1.7465 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम व आधी भूमि 1.7465 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी। जबकि विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2019 में 2.5290 हैक्टेयर भूमि वादी द्वारा क्रय की गई थी जो वादी के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। प्रतिवादी संख्या 5 के राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से नामान्तरकरण खोलकर वादी के द्वारा खरीदशुदा भूमि का सही नामान्तकरण दर्ज नहीं करने से वादगत भूमि में वादी के नाम वर्तमान ख.नं. 1114/514 तादादी 6.9863 हैक्टेयर में से 1/4 (एक बट्टा चार) हिस्सा यानि 1.7465 हैक्टेयर भूमि ही खातेदारी में दर्ज है जबकि वादी के नाम 2.5290 (दो पोईन्ट पांच दो नौ शून्य) हैक्टेयर भूमि खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी। जिसकी घोषणा करवाने का वादी कानूनी अधिकारी है।

इस पर दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 (क) की ओर से दिनांक 12.01.2024 को विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष डुडी ने वकालतनामा एवं इकबाल जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 04 को विधिवत तामील होने पर भी उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 16.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से पेरोकार राज ने राज्य हित निहित नहीं होना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 (क) की ओर से दिनांक 12.01.2024 को ही इकबाल जवाब द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी का वाद डिकी कर वादी का हिस्सा वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाये।

वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 (क) ने दिनांक 21.12.2023 को राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि में वादी के नाम वर्तमान ख0नं0 1114/514 तादादी 6.9363 है0 में से 1/4 हिस्सा यानि 1.7465 हैक्टेयर भूमि ही खातेदारी में दर्ज है जबकि वादी के नाम 2.5290 हैक्टेयर भूमि खातेदारी में दर्ज होनी चाहिये थी जिसकी घोषणा की जावे एवं वादी द्वारा जरिये विक्रय पत्र कय की गई भूमि को पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज नहीं किया है इसलिये वादी का वाद डिकी किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। वादी की ओर से अधिवक्ता ने दि0 28.03.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावे के अनुतोष में प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1.7465 है0 की जगह प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1.8374 है0 पढ़ा जाकर दावे का आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया जिसे न्यायोचित होने के कारण स्वीकार किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में फोटोप्रति दानपत्र दिनांकित 21.10.2019 प्रमाणित प्रति नामान्तरण संख्या 1086 दि0 31.10.2019 रोही रणधीसर एवं प्रमाणित प्रति नामान्तरण संख्या 1151 दिनांक 08.11.2021 रोही रणधीसर पेश किया। रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 21.10.2019 के के अवलोकन से स्पष्ट है कि मोहनराम पुत्र दुर्जाराम जाति जाट निवासी ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज.) द्वारा रोही ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ के खेत खसरा नम्बर 514 में अपने 1/4 हिस्से में से 2.5290 हैक्टेयर भूमि वादी के पक्ष में एवं 0.964175 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दान (गिफ्टडीड) किया गया है। संलग्न नामान्तकरण संख्या 1086 दिनांक 31.10.2019 से स्पष्ट है कि वादी का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 3/16 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जबकि दानपत्र के अनुसार वादी के पक्ष में 2.5290 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष 0.964175 हैक्टेयर भूमि दान की गई थी। परन्तु नामान्तरकरण में दान की गई 3.4931 हैक्टेयर भूमि में से आधी भूमि 1.7465 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम व आधी भूमि 1.7465 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी। जबकि उपर्युक्त दानपत्र में दान की गयी 2.5290 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम तथा 0.964175 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या दर्ज 01 के हिस्से में जुड़कर दर्ज रिकॉर्ड होनी चाहिये थी। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 (क) की ओर से इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 (क) ने न्यायालय में हाजिर होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादगत खेत खंसरा नं0 514 तादादी 13.9727 हैक्टेयर (विभाजन के पश्चात 1114/514 तादादी 6.9863 है0) रोही ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू में दान पत्र दिनांक 21.10.2019 के अनुसार वादी 2.5290 है0 का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 उपर्युक्त खाते में उसके 1/16 हिस्से के अतिरिक्त, दान पत्र दिनांक 21.10.2019 से प्राप्त 0.964175 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। यानि वादगत खेत में प्रतिवादी संख्या 1 की कुल हिस्सा 1.8374 हैक्टेयर खातेदारी भूमि है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है, कि मुताबिक निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible] वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

डिकरी ब मुकदमैइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जब्ता दावानी)

<u>(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)</u>

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़

बइजलास श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

लाभुराम बनाम रतनलाल आदि

राजस्व वाद घोषणात्मक, राजस्व रेकॉर्ड दुरूस्ती हेतु

मुकदमा न0 31 सन 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री ओमप्रकाश पोटिया, मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर मौषित किया जाता है व डिकरी दी जाती है कि, वादगत खेत खसरा नं0 514 तादादी 13.9727 हैक्टेयर (विभाजन के पश्चात 1114/514 तादादी 6.9863 है0) रोही ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में दान पत्र दिनांक 21.10.2019 के अनुसार वादी 2.5290 है0 का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 उपर्युक्त खाते में उसके 1/16 हिस्से के अतिरिक्त, दान पत्र दिनांक 21.10.2019 से प्राप्त 0.964175 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। यानि वादगत खेत में प्रतिवादी संख्या 1 की कुल हिस्सा 1.8374 हैक्टेयर खातेदारी भूमि है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है, कि मुताबिक निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें।

.... बाबत ....

चीज.................................... मुबलिग .... फीसदी सालाना

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.04.2025

दस्तखत उप खण्ड अधिकारी

ओहदा सुजानगढ़

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पवकालतनामा		
स्टाम्पवकालतनामा			स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत			महनतानावकीलपर		
महनताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान			फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर			वाबतइजराय हुक्मनामा		
वाबतइजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेंनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।